समाहरणालय बाँका

(राजस्व शाखा)

अति अल्पकालीन आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बाँका जिलान्तर्गत निम्नांकित अप्रैल श्रेणी सैरातों की वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए बन्दोवस्ती हेतु आम डाक सैरात के नाम के सामने अंकित पदाधिकारी के कार्यालय वेश्म में दिनांक–**20.03.2021** को पूर्वाह्न **11:00** बजे में की जायेगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त तिथि को डाक नही होने पर दिनांक–**23.03.2021** को डाक की जायेगी। यदि उक्त तिथि को भी डाक नही हो पायी तो दिनांक–**25.03.2021** को डाक की जायेगी :–

क्रमांक	सैरात जिस अंचल के अन्तर्गत है, का नाम	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	जमानत की राशि (सुरक्षित जमा का 10 प्रतिशत)	बन्दोबस्ती हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	बाराहाट	बाराहाट हाट	980375.00	98038.00	समाहर्त्ता
2	धोरैया	सरस्वती राजस्व हाट कुर्मा	845250.00	84525.00	समाहर्त्ता
3	बाँका	बाँका हाट	828000.00	82800.00	समाहर्त्ता
4	अमरपुर	भरको हाट	690000.00	69000.00	समाहर्त्ता

डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को निम्नांकित शर्त्तो का पालन करना होगा :–

1. डाकवक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व निर्धारित सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत जमानत राशि के रूप में जिला नजारत शाखा, बाँका में जमा करना होगा। डाक की समाप्ति पर असफल डाकवक्ता को उसके द्वारा जमा की गयी जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
2. डाकवक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र, आवास प्रमाण–पत्र एवं सैरात का बकाया रहित प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
3. उच्चतम डाकवक्ता के साथ सैरात की बन्दोवस्ती की जायेगी।
4. उच्चतम डाकवक्ता को डाक की सम्पूर्ण राशि एवं उच्चतम डाक राशि का निबंधन शुल्क **2%** तथा स्टाम्प शुल्क **6%** अर्थात् कुल **8%** डाक समाप्ति के तुरन्त बाद जमा करना होगा अन्यथा जमानत की राशि जब्त करते हुए द्वितीय डाकवक्ता को राशि जमा करने का आदेश दे दिया जायेगा।
5. उच्चतम डाकवक्ता को बन्दोवस्ती के पश्चात् एकरारनामा का निबंधन करना होगा अन्यथा परवाना निर्गत नहीं किया जायेगा।
6. किसी भी हाट का डाकवक्ता या संकलन अभिकर्त्ता के पास राशि बकाया रहने पर उन्हें डाक में भाग नहीं लेने दिया जायेगा। साथ ही उनके निकट भाई–भतीजा को भी डाक में भाग लेने नहीं दिया जायेगा। वर्त्तमान में जितनी जमीन है, जैसी है, उसी स्थिति के लिए डाक की जायेगी और ग्राउण्ड रेट की वसूली उतनी जगह के अन्दर ही की जायेगी।
7. हाट की जमीन को किसी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा साफ–सफाई एवं पानी की व्यवस्था करना लेसी की जिम्मेवारी होगी। हाट–बाजार में किसी राजनीतिक सभा नहीं की जायेगी। हाट–बाजार में किसी प्रकार के स्थायी संरचना का निर्माण नहीं किया जायेगा, इसे सुनिश्चित करना लेसी की जिम्मेवारी होगी। बट्टी वसूली छपाई रसीद पर की जायेगी। किसी भी हालत में किसी भी सम्प्रदाय द्वारा हाट में अस्थायी/स्थायी कोई भी धार्मिक या मजहबी निर्माण नहीं किया जायेगा। इसकी जवाबदेही लेसी की होगी।

8. संक्रामक रोग या महामारी की स्थिति में हाट के लेसी की यह विशेष जवाबदेही होगी कि वे हाट में सड़ी गली वस्तुओं की खरीद–बिक्री नहीं होने दें। साफ–सफाई की विशेष व्यवस्था करेंगे। इस क्रम में कोई क्षतिपूर्त्ति देय नहीं होगा।
9. वसूली में किसी भी प्रकार का व्यवधान, यथा–प्राकृतिक आपदा एवं अन्य कोई स्थिति उत्पन्न होने पर बन्दोबस्ती की राशि में किसी प्रकार की छूट / वापस नहीं की जायेगी।
10. हाट में बट्टी वसूली अनुमंडल पदाधिकारी, बाँका द्वारा निर्धारित दर पर की जायेगी। निर्धारित दर से अधिक राशि की वसूली की शिकायत मिलने पर जाँचोपरान्त बन्दोवस्ती रद्द कर दी जायेगी
11. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बन्दोवस्ती रद्द करने या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय राजस्व शाखा में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा अनुमंडल एवं अंचल कार्यालय के सूचना पट्ट पर एवं जिला के वेबसाईट **http:\\banka.bih.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।

10/03/21
समाहर्त्ता
बाँका